Year-8; Sept. 2017
ISSN–2231-1130
UGC Sr. No. – 48398
VEETHIKA

सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृति निर्णयन प्रक्रिया में महिला की स्थिति एवं समाधान

डॉ0 संध्या पाण्डेय *

भारत में वैदिक काल में महिलाओं की दशा पुरुषों के बराबर रही है उनको पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त रहे है। किन्तु धीरे–धीरे पुरुषों में अधिकार प्राप्ति की इच्छा बढ़ने के करण स्मृतिकाल धर्मशास्त्र एवं मध्य काल में महिलाओं के अधिकार कम होते गये, उन्हें कमजोर निर्बल एवं असहाय मान लिया गया, किन्तु ब्रिटिश शासन काल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जागृति आने लगी समाज सुधारको और राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान महिलाओं की स्थिति सुधारने की ओर गया।

भारतीय चिंतक विद्वान समाज सुधारक तथा राष्ट्रीय नेता इस बात के प्रति जागरुक रहे कि नारी ही शान्ति का साकार रुप है, वही परिवार की आधार शिला है तथा देश की उन्नति उसी के सद्प्रयासो पर निर्भर करती है।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में महिलाओं में नई चेतना आयी जिसके फलस्वरूप स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान भारतीय महिलाओं का सार्वजनिक क्षेत्र में खुलकर प्रवेश हुआ। वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान महिला एवं पुरुष दोनों का समानता एवं स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी को अपना धर्म असीमित रुप से मानने और उसमे आचरण करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। परन्तु व्यवाहिरक रूप से उन्हे पूर्णतः सुविधाओं से अलग एवं चुप रहने को बाध्य होना पड़ता है।

भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार प्राप्त होने के बाद भारतीय महिला के आज भी राजनीतिक एवं नीतिगत प्रक्रिया में समुचित भागीदारी प्राप्त नहीं हो पायी है। यद्यपि उन्हें पुरूषो के साथ ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया है यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के 70वर्षों के बाद भी भारत में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और विधिक क्षेत्र में वह भागीदारी नहीं प्राप्त हो सही है जैसा कि संविधान निर्माताओं एवं राष्ट्रीय नेताओं ने कल्पना की थी राजनीतिक भागीदारी से मतलब केवल वोट देने का अधिकार प्राप्त करना ही नहीं बल्कि नीति निर्धारण और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालना भी सम्मिलित है भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। मई 1988 में राजीव गांधी ने बड़े उत्साह के साथ 64वाँ संविधान विधेयक प्रस्तुत किया। वह विधेयक पंचायती राज विधेयक के नाम से जाना गया। परन्तु 64वां संविधान+संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया उनका कहना था कि विधेयक जनता की शक्ति है, महिलाए देश की आधी शक्ति है यदि हम उनका साथ नहीं देते तो हमारी आधी ताकत समाप्त हो जायेगी।

भारत में जागरुक, शिक्षित और प्रतिभावान महिलाओं की कमी नहीं है इनमें अधिकतर महिलायें क्षमतावान, विधायक या सांसद बनकर गांव, शहर, राज्य या देशों में जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यही नहीं देष की मुख्य नीतियों तथा आर्थिक नीति, जनसंख्या नीति इत्यादि के निर्धारण में भी उनके विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन महिला सांसदों की संख्या इतनी कम होने के कारण उनके सुझाव को वह स्थान नहीं मिल पाया। 15वर्षों से अधिक समय तक देष की बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में होते हुये भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ सकी।

साहित्यकार मृणाक पाण्डेय के अनुसार सारक्षण के माध्यम से महिलाये किसी भी स्थान पर पहुँच सकती हैं आरक्षण महिलाओं के समाजिक राजनीतिक और शासकीय प्रक्रियाओं में जुड़ने से आरक्षण महिलाओं के लिए एक सीढ़ी का कार्य

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद

करेगा। जब संसद या विधानसभा में महिलाओं की संख्या पर्याप्त होगी तभी वह अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रख सकेगी।

सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी क्यों कम है इसके मुख्य अवरोधक कारण निम्नलिखित है।

- महिलाओं में जागरूकता का अभाव
- प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होना
- भारतीय समाज का पुरुष प्रधान होना
- महिलाओं का अशिक्षित होना
- विभिन्न राजनीतिक दलो में महिला कार्याकर्ताओं की उपेक्षा तथा महिला कार्याकर्ताओ को प्रशिक्षण न देना
- प्राथमिक स्तर पर महिला नेतृत्व का अभाव
- सामाजिक मर्यादा की रक्षा तथा शोषण से महिलाओं का राजनीति में न आना

उपरोक्त कारणों को देखते हुये इनके समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम एवं प्रयास किये जा रहे हैं।

1. सामाजिक एवं राजनीति प्रक्रियाओं में वर्चस्व बढ़ाने के लिए महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सामाजिक आन्दोलन की आवश्यकता है।
2. सभी राजनीतिक दलों को नारी के विकास के लिए विशेष कार्य क्रम एवं नीतिगत उपायो का सृजन किया जाना चाहिए।
3. महिलाओं के शोषण एवं अत्याचार रोकने तथा उसके सम्मान की रक्षा की गारन्टी सभी राजनीतिक दलो को देनी होगी क्योंकि महिलायें अपनी मर्यादा एवं सम्मान की रक्षा न होने के कारण अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है।
4. महिलाओं के संदर्भ में लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए एक सार्थक आन्दोलन चलाया जाय, इसके लिए जनसंचार माध्यमों तथा समाचार पत्रो का भी सहारा लिया जा सकता है।
5. प्रशासन तन्त्र परिवर्तन एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है निर्णय लेने तथा उन्हें लागू करने के स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को आगे आने का अवसर प्राप्त होगा बल्कि इससे विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन महिलाये रह चुकी है। परन्तु वर्तमान में आज भी महिला न्यायधीशो की संख्या पुरुषो की तुलना में बहुत कम है।

अतः यह अति आवश्यक है कि प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जाये। प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाये बिना राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को अपेक्षित स्तर पर नही लाया जा सकता।

क्योंकि समस्त नीतियो का सृजन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है तभी महिलाए पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगी एवं निर्णय लेने तथा लागू करने के स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को उभर कर आने का मौका मिलेगा तथा विकास की प्रक्रिया को भी बढ़ाया मिलेगा।